भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1159
उत्तर देने की तारीख : 30.07.2024

हाथ से मैला उठाए जाने की प्रथा का उन्मूलन

1159. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के पास सीवरेज सफाई के पूर्ण मशीनीकरण और हाथ से मैला उठाए जाने की प्रथा को समाप्त करने संबंधी कोई विधेयक लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ऐसी खबरें थीं कि पूर्ण मशीनीकरण के उद्देश्य हेतु हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भेजा गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): वर्तमान में, सीवरेज सफाई के पूर्ण मशीनीकरण और हाथ से मैला उठाए जाने की प्रथा को समाप्त करने संबंधी कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं है।

(ख): सुरक्षित सफाई प्रथाओं के लिए संस्थागत सेट-अप को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" में संशोधन करने का प्रस्ताव था। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई राष्ट्रीय मशीनी सफाई इकोसिस्टम कार्य योजना (नमस्ते) स्कीम को ध्यान में रखते हुए "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम,. 2013" में संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया गया।

******